



जीवन प्रमाणपत्र का फार्म / FORM OF LIFE CERTIFICATE

प्रत्येक वर्ष के 31 जनवरी को पेंशनर द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए जीवन प्रमाणपत्र
LIFE CERTIFICATE TO BE SUBMITTED BY A PENSIONER AS ON 31st JANUARY EVERY YEAR

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशनर (जिनका नीचे दिया गया नमूना हस्ताक्षर मेरी उपस्थिति में किया गया है) _____ और
वे इस दिनांक को जीवित है।

Certified that I have seen the Pensioner _____ (whose specimen signature is appended below in my presence)
and that he is alive on this date.

अनुटी क्रमांक/ Annuity Number: _____

वर्तमान पता/ Existing Address:		पते में परिवर्तन, यदि कोई है तो /Change in Address, if any:
दूरभाष नं./Telephone No.:		दूरभाष नं./Telephone No.
ई मेल आईडी यदि कोई है तो /Email-id, if any :		

बैंक विवरण/Bank Particulars:

बैंक खाता सं. Bank Account No.		बैंक का नाम Bank Name	
पैन नं-/ PAN NO:			

Note: Please send copy of your Aadhar Card for our record.

जनवरी, 2020 को _____ दिन पर _____ को जारी।

Issued at _____ on _____ day of January, 2020

पेंशनर का नमूना हस्ताक्षर/(Specimen signature of Pensioner)

*गवाह का हस्ताक्षर/Witness Signature : _____

नाम/Name : _____

व्यवसाय-पदनाम/Occupation / Designation : _____

पता/Address : _____

***नोट/Note**

यह प्रमाणपत्र उस कंपनी के प्रथम श्रेणी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए जिसमें पेंशनर सेवानिवृत्त हुए हैं या राजपत्रित अधिकारी उनके कार्यालय के सील सहित या बैंक अधिकारी के सील सहित जहाँ पेंशनरका खाता है या पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के मामले में उनका पंजीकरण नं. अतिआवश्यक है। यदि पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर विदेश में रहते हैं तो इसे भारतीय वाणिज्य दूतावास / दूतावास द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

This certificate should be signed by a Class I Officer of the Company from which the Pensioner retired or a Gazetted Officer under the seal of his / her office or an officer of any bank where an account is maintained by pensioner along with seal or a Registered Medical Practitioner. In case of Registered Medical Practitioner his / her registration number is a must. In case pensioner or family pensioner residing abroad it should be attested by Indian Consulate/ Embassy.

कृपया नोट करें कि यदि आप साबीनि, मुंबई के पेंशन सेल में यह प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत नहीं कर पाएं तो फरवरी, 2020 से जीवन बीमा निगम द्वारा आपको जारी किए जानेवाली पेंशन नहीं दी जाएगी।

Please note in case of your failure to submit this certificate to Pension Cell GIC Mumbai in time, no Pension will be issued to you by LIC from February 2020 onwards.